विविध बैंक प्रकरण संख्या 89/2020(GCMS : 2020/00244) ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व में ए यू फाइनेन्सेरस (इडिया)लि.) रजिस्टर्ड ऑफिस–19–ए, धूलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 तथा ऑफिस एस टी सी बिल्डींग तृतीय तल न्यू आतिश मार्केट जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी महीपाल सिहंह बनाम 1. शंकर लाल पुत्र साजन राम निवासी 34, 1 जी.पी.एम. गांव सूरतगढ तसहील सूरतगढ, तहसील श्रीगंगानगर–335001 अन्य पता पट्टा नं. 15 मे प्लॉट, संकल्प नं. 1, ग्राम पंचायत गोपालसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **2. ईमीचन्द पुत्र साजन** राम निवासी ग्र्रम पंचायत बालादेसर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर **3. धनीदेवी पत्नी शंकर लाल** निवासी 33,2 जीपीएम गांव गोपालसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर–335001 **4. बनवारी लाल पुत्र हरीराम** निवासी 58, चॉक की ढाणी, 2 डी.डब्ल्यू.एम. गांव सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर **5. मानी देवी पत्नी साजन राम** निवासी 78,बालादेसर, गांव बालादेसर, तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर अन्य पता मिशाल नं. 38, पट्टा नं. 22 दिनांक 7/12/1989ग्राम पंचायत बालादेसर, तहसील लूणकरणसर, जिला बीकानेर, **6. विकाश इंगलिश शैक्षणिक संस्थान** निवासी लालगढिया,तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर **7. मानीराम पुत्र उदाराम** निवासी 18, जी.पी.एम. गांव गोपालसर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

04.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री संजय भाटिया, अधिवक्ता उपस्थित हुए और निवेदन किया कि प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. ने अप्रार्थीगण **शंकर लाल, ईमीचन्द धनीदेवी, बनवारी लाल, मानी देवी, विकाश इंगलिश शैक्षणिक संस्थान एवं मानीराम** द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी शंकर लाल बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. 15(क्षेत्रफल 5600 वर्गफीट), संकल्प नं. 1, ग्राम पंचायत गोपालसर, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2020 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणियों के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:57:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कहता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 02.11.2020 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण **शंकर लाल, ईमीचन्द धनीदेवी, बनवारी लाल, मानी देवी, विकाश इंगलिश शैक्षणिक संस्थान एवं मानीराम** के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी शंकर लाल द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति प्लॉट नं. 15(क्षेत्रफल 5600 वर्गफीट), संकल्प नं. 1, ग्राम पंचायत गोपालसर, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का लिखित ई–मूल भी प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पूर्व में पेश किया हुआ है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व में ए यू फाईनेन्सर्स (इंडिया) लि.), द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को लिखा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:57:17 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर